| 1 | 2 |
|---|---|
| 25. पश्चिमी बंगाल . . . . . | 3443 |
| **संघ राज्य क्षेत्र** | |
| 1. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह . . . . | 3 |
| 2. चंडीगढ़ . . . . . | 731 |
| 3. दादरा व नगर हवली . . . . . | 7 |
| 4. दिल्ली . . . . . | 3977 |
| 5. दमण व दीव* | |
| 6. लक्षद्वीप . . . . . | 7 |
| 7. पांडिचेरी . . . . . | 398 |
| कुल : | 30869 |

टिप्पणी :

1. * इस राज्य में कोई रोजगार केन्द्र नहीं है।
2. ** आंकड़े नहीं रखे गये।
3. यह आवश्यक नहीं है कि रोजगार केन्द्र के चालू रजिस्टर में दर्ज सभी स्नातक बेरोजगार हों/पंजीकरण स्वैच्छिक होने के कारण सभी बेरोजगार स्वयं को रोजगार केन्द्र में दर्ज नहीं कराते ।

**कमला नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद में कैंसर के उपचार की सुविधाएं**

2873. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमला नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद में कैंसर के निवारण और उपचार के लिये कोई विभाग है ;

(ख) यदि हां, तो उस अस्पताल को केन्द्र द्वारा प्रतिवर्ष कितनी राशि आबंटित की जाती है ; और

(ग) क्या सरकार इस राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कितनी यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**बिहार में काला-अजार के लिए सहायता**

2874. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान बिहार में काला-अजार की बीमारी पर काबू पाने के लिये सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई है;

(ख) क्या इस संबंध में किसी केन्द्रीय दल ने बिहार का दौरा किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दल द्वारा यदि कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) बिहार में काला-आजार पर काबू पाने के लिये भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

| वर्ष | नकद | प्रकार | कुल (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| 1990–91 | — | 389.49 | 389.49 |
| 1991–92 (18–11–91 तक) | — | 676.21 | 676.21 |

(ख) और (ग) जी,हां । एक केन्द्रीय दल ने दिसम्बर, 1990 के महीने में बिहार का दौरा किया था तथा विभिन्न स्तर के राज्य अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था । इस दल की महत्वपूर्ण सिफारिशें नीचे संक्षेप में दी गई हैं:–

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला तथा अस्पताल स्तरों पर नैदानिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना ।

2. उपचार के दौरान और उसके बाद काला-आजार के रोगियों के लिये अनुवर्ती प्रणाली ।

3. वर्ष में दो बार कारगर डी0 डी0टी0 का छिड़काव ।

4. स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों को तेज करना ।

5. प्रबंध सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करना तथा राज्य-स्तर से परिधीय स्तर तक विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारी निर्धारित करना ।



**Re-licensing of Ayurvedic Medicine**

2875. SHRI CHATURANAN MISHRA; Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) t'he number of allopathic products (like vicks vaporub) which have been. re-licensed as Ayurvedic medicine during the last three years, year-wise and product-wise;

(b) what was the criteria for issuing the new license; dad

(c) the changes made by the manufac turers in those products?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE(SHRIMATI D.K. TMARA DEVI SIDDARTHA): (a) The State Governments are the licensing authorities for manufacture Of Ayurvedic medicines. As per the information available, the following two products were relicensed by the State Governments as Ayurvedic medicine during 1987:—

(i) IODEX of M/s. Eskayef Ltd. Bangalore; and

(ii) DABURUB Of M/s. Dabur India Ltd., Ghaziabad.